उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.08.2025

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

## पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 26.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.08.2025

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

## थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद करते हुये 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने थानाक्षेत्र अन्तर्गत यात्री प्रतीक्षालय धवार मोड़ बहद ग्राम धवार के पास से अवैध शस्त्र लिये 01 नफर अभियुक्त नीतेश पुत्र हरिश्चन्द्र राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

नीतेश पुत्र हरिश्चन्द्र राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

### बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. कां0 करमवीर यादव

# महोबा पुलिस



## साइबर हेल्प डेस्क थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा गुम हुआ मोबाइल खोजकर पीड़ित को किया गया सुपुर्द।

### "महोबा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क निरंतर सक्रिय"

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना चरखारी की टीम द्वारा शिकायतकर्ता अब्दुल कादिर निवासी मोहल्ला भैरोगंज कस्बा चरखारी का मोबाइल फोन, जो कही गुम हो गया था, तकनीकी प्रयासों से बरामद कर आज सकुशल उनके सुपुर्द किया गया, इस अवसर पर पीड़ित द्वारा महोबा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

### साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित जनहित अपील-

- यदि किसी नागरिक का मोबाइल गुमचोरी हो जाता है या साइबर धोखाधड़ी / का शिकार होता है तो वह तत्काल नजदीकी थाना, साइबर हेल्प डेस्क अथवा टोलपर संपर्क करें। 1930 फ्री नंबर-
- समय पर सूचना देने से पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सहयोग मिलता है और बरामदगीनिवारण की संभावना बढ़ जाती है।/
- किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें एवं व्यक्तिगत अथवा बैंक संबंधी जानकारी अजनबियों से साझा न करें।
- जनपद महोबा पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, विश्वास एवं साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पूर्णत : प्रतिबद्ध है।

### साइबर हेल्पडेस्क टीम-

1. उ0नि0 विशाल वाजपेयी
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए विकास सिंह वर्मा
3. का0 महादेव

**प्रगति आख्या**

**प्रकरण संख्या** : मु0अ0सं0 220/2025
**धारा** : 69 BNS
**वादिया** : ज्योति राजपूत पुत्री सुरेश राजपूत, निवासी ग्राम मुरगां थाना श्रीनगर जनपद महोबा
**विपक्षी** : उत्तम सिंह राजपूत पुत्र दयाराम निवासी ग्राम मोहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

वादीया की तहरीर के आधार पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अब तक की गई विवेचना की प्रगति इस प्रकार है -

---

**विस्तृत प्रगति विवरण**

1. **दिनांक 17.08.2025**
    - वादीया द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
    - विवेचक द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया।
    - सी0एच0सी0 कबरई से डॉ0 शालिनी द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया।
    - पीड़िता का धारा 161 CrPC का बयान दर्ज किया गया।
    - अभियोग की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला शक्ति केंद्र, ए0डी0जी0आर0 महिला हेल्पलाइन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दी गई।
2. **दिनांक 18.08.2025**
    - पीड़िता ज्योति का मेडिकल परीक्षण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की गई।
3. **दिनांक 19.08.2025**
    - अभियुक्त उत्तम सिंह राजपूत पुत्र दयाराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
    - पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 BNSs (पूर्व में 164 CrPC) में दर्ज कराया गया।
4. **दिनांक 21.08.2025**
    - विवेचना अधिकारी द्वारा वादीया/पीड़िता का मोबाइल नंबर 8318878533 पर सी0डी0आर0 प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई।
5. **दिनांक 24.08.2025**
    - जिला चिकित्सालय महोबा से प्राप्त रेफर स्लिप अनुसार पीड़िता का इलाज “नवदीप हास्पिटल, LIC हास्पिटल पन्ना रोड झांसी” में चल रहा है।
    - उक्त हास्पिटल से प्राप्त डिस्चार्ज समरी के अनुसार अभियुक्त उत्तम सिंह राजपूत की तलाश हेतु प्रयासरत, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई।
    - पीड़िता ज्योति राजपूत से संबंधित स्वः परीक्षण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई।

# महोबा पुलिस



## थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हरिभजन गौतम व उ0नि0 तुषार श्रीवास्तव मय हमराह हे0कां0 विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1.रज्जन यादव पुत्र लाल दीवान यादव उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2.मुईद पुत्र अजमेरी उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला शुक्लाना थाना कोतवाली जनपद महोबा को ग्राम भण्डरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 अदद प्लास्टिक के डिब्बे जिनमें प्रथम डिब्बे में ₹9,500 नकद व 01 अदद कीपैड मोबाइल तथा द्वितीय डिब्बे में ₹18,500 नकद व 01 अदद वीवो एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुआ। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त –

1.रज्जन यादव पुत्र लाल दीवान यादव उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

2.मुईद पुत्र अजमेरी उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला शुक्लाना थाना कोतवाली जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 हरिभजन गौतम

2. उ0नि0 तुषार श्रीवास्तव

3.हे0कां0 विनोद कुमार

### बरामदगी का विवरण –

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद प्लास्टिक के डिब्बे जिनमें प्रथम डिब्बे में ₹9,500 नकद व 01 अदद कीपैड मोबाइल तथा द्वितीय डिब्बे में ₹18,500 नकद व 01 अदद वीवो एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुआ।

# महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.08.2025

मीडिया सेल, महोबा

## क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने की अर्दली रूम बैठक,

## विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण व अपराध नियंत्रण को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आज दिनांक-26.08.2025 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा सर्किल कुलपहाड़ अंतर्गत सभी प्रभारी निरीक्षकों के साथ पेशी कार्यालय में अर्दली रूम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्किल कुलपहाड़ के समस्त विवेचकगण, हल्का प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने थाना स्तर पर लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की तथा विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने अकारण विवेचनाएं लंबित रखने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए उन्हें जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही, निरोधात्मक कार्यवाही, जनशिकायती प्रार्थनापत्रों के त्वरित निस्तारण, NBW/BW निष्पादन, हिस्ट्रीशीटरों, सक्रिय एवं टॉप- 10 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की समीक्षा की गई।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि थानाक्षेत्र अन्तर्गत रात्रि में प्रमुख चौराहों/तिराहों पर नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाए। इसके अतिरिक्त, अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी एवं उनके क्रय-विक्रय में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

इसी क्रम में थानों के हेड मुहर्रिर और कोर्ट पैरोकारों द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन और ऑपरेशन क्लीन 2 के अंतर्गत कृत कार्यों को समीक्षा कर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस बैठक में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री अर्जुन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।